



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 12, 2018/कार्तिक 21, 1940

No. 417]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 12, 2018/KARTIKA 21, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2018

**फा. सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य /स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016.**—कतिपय विनियमों का प्रारूप, अर्थात्-

(i) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2017 अधिसूचना संख्या फाइल सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य/स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016 तारीख 7 नवंबर, 2017 और

(ii) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2017 अधिसूचना संख्या फाइल सं. 1/अतिरिक्त खाद्य सहयोज्य-II/स्टैंडर्ड्स/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2017 तारीख 7 नवंबर, 2017

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 28 अप्रैल, 2016 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गयीं थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त दोनों राजपत्र अधिसूचनाओं की प्रतियां जनता को क्रमशः 20 नवंबर, 2017 और 13 नवंबर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया था;

अतः, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

### विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) दसवाँ संशोधन विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 (जिसे इसके पश्चात उक्त विनियम कहा है), के अध्याय 3 में,-

(I) "खाद्य सहयोज्य" से संबन्धित विनियम 3.1, के उप-विनियम 3.1.1, के खंड (6), के अंत में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सारणी में सहयोज्य के लिए अधिकतम उपयोग स्तर अंतिम उत्पाद पर खपत के रूप में हैं।";

(II) परिशिष्ट क में,-

(1) शीर्षक "I. खाद्य श्रेणी प्रणाली" के अंतर्गत,-

(क) खाद्य श्रेणी 1.0 में, -

(i) मद 1.3 में, उप-मद 1.3.2 के पश्चात, निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"1.3.2.1 गैर-डेयरी आधारित पेय श्वेतक";

(ii) मद 1.5 में, उप-मद 1.5.1 के पश्चात, निम्नलिखित उप-मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"1.5.1.1 डेयरी आधारित डेयरी श्वेतक";

(ख) खाद्य श्रेणी 4.0 में, -

(i) मद 4.1.1 में, उप मद 4.1.1.3 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4.1.1.3 छिले या कटे अल्पतम प्रसंस्कृत फल";

(ii) उप मद 4.1.2.6 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4.1.2.6 उप-मद 4.1.2.5 के उत्पादों को छोड़कर फल-आधारित स्प्रेड (जैसे चटनी)";

(iii) उप मद 4.2.1.3 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

'4.2.1.3 छिली हुई, कटी हुई अथवा घिसी हुई अल्पतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ (मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, ताजा दालों और फलियों, और घृतकुमारी समेत), समुद्री शैवाल, और नट्स तथा बीज";

(ग) खाद्य श्रेणी 11.0 में, मद 11.1 में, उप मद 11.1.5, के पश्चात निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"11.1.6 गुड़

11.1.6.1 गन्ने का गुड़

11.1.6.2 पाम गुड़

11.1.6.3 खजूर का गुड़";

(घ) खाद्य श्रेणी 12.0 में, मद 12.2 में, उप मद 12.2.1 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"12.2.1 जड़ी-बूटियाँ, मसाले, ओलियोरेजिन या अर्क/उनके व्युत्पन्नों समेत मिश्र मसाले";

(2) "II. खाद्य श्रेणी विवरण" शीर्षक के नीचे-

(क) खाद्य श्रेणी 1.0 में-

(i) मद 1.1 में, उप-मद 1.1.2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"1.1.2 डेयरी आधारित पेय, सुरुचियुक्त तथा/या किण्वित

इसमें कोको मिश्रों (कोको-चीनी मिश्रण, श्रेणी 5.1.1) को छोड़कर सुरुचियुक्त अथवा सुगंधित दूध आधारित तैयार द्रव पेय और उनके मिश्र भी सम्मिलित होंगे जैसे गर्म चॉकलेट, चॉकलेट-माल्ट पेय, स्ट्राबेरी-सुरुचियुक्त दही पेय, व्हे-से बना पेय, लैक्टिक एसिड बैटीरिया पेय, और लस्सी (दूध के लैक्टिक एसिड के किण्वन से प्राप्त दही को मथकर तथा शर्करा या कृत्रिम मिठास मिलाकर प्राप्त किया गया तरल) सम्मिलित होंगे।";

(ii) मद 1.3 में, उप-मद 1.3.2.1 को लोप किया जाएगा;

(iii) मद 1.5 में, उप-मद 1.5.1, के पश्चात निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"1.5.1.1 डेयरी आधारित डेयरी श्वेतक

दूध या दुग्ध प्रोटीन और लैक्टोजयुक्त क्रीम";

(ख) खाद्य श्रेणी 4.0 में-

(i) मद 4.1 में, उप-मद 4.1.1.3 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4.1.1.3 छिले या कटे हुए अल्पतम प्रसंस्कृत फल";

(ii) मद 4.2 में, उप-मद 4.2.1.3 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"4.2.1.3 छिली हुई, कटी हुई या घिसी हुई अल्पतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ (जिसके अन्तर्गत मशरूम और कवकों, जड़ों और कंदों, ताजा दालों और फलियों, और घृतकुमारी भी हैं) समुद्री शैवाल, और नट्स तथा बीज];

(ग) खाद्य श्रेणी 5.0 में-

- (i) मद 5.1 में, उप-मद 5.1.4 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“5.1.4 अनुकृति चॉकलेट, चॉकलेट विकल्प उत्पाद”;

- (ii) मद 5.2 में, उप-मद 5.2.1 से 5.2.3 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित उप मदों और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

### “5.2.1 सख्त कैंडी

पानी और चीनी (सामान्य घोल), रंग और सुवास से बने और बिना भरे उत्पाद, उनके आहारिय प्रति-उत्पाद, और कोकोयुक्त या रहित उत्पाद। इसमें चूष और टिकिया (वेल्लित, गद्दी और भरी हुई मीठी कैंडी) सम्मिलित हैं। इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत आने वाले चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में किया जा सकता है।

### 5.2.2 मुलायम कैंडी

मुलायम, चबाए जाने वाले उत्पाद जैसे कैरामल (चीनी का घोल, वसा, रंग और सुवासयुक्त) और उनके आहारिय प्रति-उत्पाद; कोको और दूधयुक्त अथवा उनसे रहित उत्पाद (जैसे टॉफी और चॉकलेट के सुवास वाले कैरामल); जैली-आधारित कैंडी (जैसे जैली बीन; पेक्टिन, रंग और सुवास से बने शर्करालेपित जैलीयुक्त फल पेस्ट,); और लिकोराइसा। इसमें हलवा और स्वीट बीन जैली इत्यादि पूर्वी खाद्य भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार के उत्पादों का उपयोग खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में किया जा सकता है।

### 5.2.3 नगेट और मार्जिपैन

नगेट में भुनी मूंगफलियाँ, शर्करा और कोको तथा उनके आहारिय प्रति-उत्पाद सम्मिलित हैं, जिनका उनके मूल रूप में उपभोग किया जा सकता है, या खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में उपयोग किया जा सकता है। मार्जिपैन में बादाम का पेस्ट और शर्करा और उनके आहारिय प्रति-उत्पाद सम्मिलित हैं, जो सीधे उपभोग के लिए किसी आकृति में ढले व रंजित हो सकते हैं, या जिनका उपयोग खाद्य श्रेणी 5.1.3 और 5.1.4 के अंतर्गत चॉकलेट उत्पादों की भराइयों के रूप में किया जा सकता है।”;

- (घ) खाद्य श्रेणी 11.0 में, मद 11.1 में, उप मद 11.1.5, के पश्चात निम्नलिखित उप मद और प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“11.1.6 गुड़: गन्ने को पेरकर या पामिरा पाम, डेट पाम अथवा कोकोनट पाम से निष्कर्षित रस को उबालकर अथवा प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।

11.1.6.1 गन्ने का गुड़: गन्ने को पेरकर या उसके निष्कर्षण से प्राप्त रस को उबालकर अथवा प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।

11.1.6.2 पाम गुड़: पामिरा पाम या कोकोनट पाम को पेरकर या उसके निष्कर्षण से प्राप्त रस को उबालकर अथवा प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।

11.1.6.3 खजूर का गुड़: खजूर पाम को पेरकर या उसके निष्कर्षण से प्राप्त रस को उबालकर या प्रसंस्कृत करके बनाया गया उत्पाद।”

- (ङ) खाद्य श्रेणी 12.0 में-

- (i) मद 12.2 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

## “12.2 जड़ी-बूटियाँ, स्पाइस, सीजनिंग, और कंडीमेंट

स्पाइस से किसी भी प्रकार का स्पाइस अभिप्रेत है, जिसमें करी पाउडर, स्पाइस तेल, ओलियोरेजिन और अन्य मिश्रण सम्मिलित हैं, जिनमें स्पाइस की मात्रा अधिक होती है।”;

(ii) “जड़ी-बूटियाँ और मसालेयुक्त स्पाइस” से संबंधित उप खाद्य शीर्षक 12.2.1 के स्थान पर निम्न लिखित मद शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्,-

“12.2.1 जड़ी-बूटियाँ, स्पाइसिस, मसाले, स्पाइस मिषण जिसके अंतर्गत ओलियोरेजिन या उनके अर्क/व्युत्पसन्नो भी है।”;

(च) खाद्य श्रेणी 15.0 में-

(i) “सैक्स- आलू, अनाज, आटा अथवा स्टार्च (जड़ों और कंदों, दालों और फलियों से) आधारित” से संबंधित उप खाद्य श्रेणी 15.1 में “परंतु फीके क्रैकर (श्रेणी 7.1.2) जैसे आलू चिप्स सम्मिलित नहीं हैं” शब्दों, कोष्ठको और अंको के स्थान पर आँकड़ों की जगह निम्न लिखित शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे, अर्थात्-

“किंतु फीके क्रैकर (श्रेणी 7.1.2) जैसे आलू चिप्स से अपवर्जित किया गया है।”;

(ii) प्रसंस्कृत नट सहित कोटेड नट और नट मिषण” से संबंधित उप खाद्य श्रेणी 15.2 में ‘चॉकलेट से ढके नट को 5.1.4 में वर्गीकृत किया गया है, और अनुकृत चॉकलेट से कवर्ड वाले नट्स 5.1.5 में शामिल किए गए हैं’ शब्दों और अंको के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,-

“चॉकलेट की कोटिंग वाले मेवों का वर्गीकरण 5.1.3 में किया गया है, और नकली चॉकलेट की कोटिंग वाले नट्स 5.1.4 में सम्मिलित किए गए हैं।”;

(3) “IV खाद्य उत्पादों में खाद्य सहयोज्यो का उपयोग” शीर्षक के अधीन-

**(क) सारणी 1 के, स्तंभ (1) में,-**

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली 1.5.2 के स्तंभ (6) में खाद्य सहयोज्य फॉस्फेट के सामने “88, 36” प्रविष्टियों के स्थान पर “88, 33” प्रविष्टियाँ रखी जाएगी।

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 1.6.1, के सामने स्तम्भ (4) खाद्य सहयोज्य पदार्थ एन्नाटो से संबंधित प्रविष्टियों “160ख” के स्थान पर “160ख (i), (ii)” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 1.6 में, उप-मद 1.6.2.1, के स्तंभ (6) में, खाद्य सहयोज्य हेक्सामिथाइलीन टेट्रासाइन के सामने “66,298 ” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 1.8 के, उप-मद 1.8.2 के स्तंभ (2) में “शुष्कित छेना और छेना उत्पाद छेना चीज, छेना पाउडर को छोड़कर” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्,-

“शुष्कित छेना और छेना उत्पाद, छेना चीज को छोड़कर”;

**(ख) सारणी 2, के स्तंभ (1) में,-**

(i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 2.1, के उप-मद 2.1.2 में स्तम्भ (3) से (6) की प्रविष्टि

“प्राकृतिक और कृत्रिम टोकोफेरॉल	307	जीएमपी	
एसकोर्विल एस्टर्स		500 मिग्रा/किग्रा	10”

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“टोकोफेरॉल		जीएमपी	
एसकोर्विल एस्टर्स		500 मिग्रा/किग्रा	”;

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 2.2, के उप-मद 2.2.2 में,-

(क) स्तम्भ (3) से (6) की प्रविष्टि,

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“सोर्बिटान मोनोपाल्मिटेट/सोर्बिटान मोनोस्टीरेट/ ट्राइस्टीरेट”	495, 491	1,000 मिग्रा/किग्रा	”;

के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	नोट
“सोर्बिटान एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स		10,000 मिग्रा/किग्रा	359”;

(ख) स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य थियोडिप्रोपियोनेट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात स्तंभ(3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“सूक्रोजओलिगाएस्टर, टाइप I और टाइप II	473क	10,000 मिग्रा/किग्रा	348, 360
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	10,000 मिग्रा/किग्रा	348, 360”;
वसीय अम्लों के पॉलीग्लिसराॅल ईस्टर	475	5,000 मिग्रा/किग्रा	359”;

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 2.3 के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य सोर्बेट और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
वसीय अम्लों के पोलिग्लिसरॉल ईस्टर	475	20,000 मिग्रा/किग्रा	363
प्रोपीलीन ग्लाइकोल एल्जीनेट	405	3,000 मिग्रा/किग्रा	
स्टीरोइल लैक्टिलेट		3,000 मिग्रा/किग्रा	
वसीय अम्लों के सोर्बिटन ईस्टर		5,000 मिग्रा/किग्रा	363”;
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	5,000 मिग्रा/किग्रा	363, 102”;

(ग) सारणी 3, के स्तंभ (1) में,- खाद्य श्रेणी प्रणाली 3.0 में खाद्य सहयोज्य “वसीय अम्लों के प्रोपीलीनग्लाइकोल ईस्टर” के सामने स्तंभ (5) में “5,000 मिग्रा/किग्रा” प्रविष्टि अन्तः स्थापित की जाएगी। (घ) सारणी 4 के,-

(i) स्तंभ (1) में, शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 4.1 में, उप-मद 4.1.1.3 के,-

(क) स्तंभ (2) में “छिले या कटे ताजा फल” प्रविष्टि के स्थान पर “छिले या कटे अल्पतम प्रसंस्कृत फल” प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) स्तंभ (3) में, “कैल्सियम कार्बोनेट” खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तंभ (3) से (6) निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“सिट्रिक एसिड	330	जीएमपी	
एस्कोर्बिक एसिड	300	जीएमपी	
पोटेशियम कार्बोनेट	501	जीएमपी”;	

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 4.1 में, उपमद 4.1.2.8, के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य “सनसेट येलो एफसीएफ” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तंभ (3) से (6) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“वसीय अम्लों के सोर्बिटन ईस्टर		5,000 मिग्रा/किग्रा	XS314आर , XS240”;
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	1,500 मिग्रा/किग्रा	348, XS314 आर”;

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 4.2 में, उपमद 4.2.1.3,-

(क) स्तंभ 2 में “छिले हुए या कटा हुआ ताजा सब्जियाँ (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, दाढ़े और दाल, और एलोवेरा), समुद्री बीड, और नट्स और बीज” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्,-

“छिली हुई, कटी हुई या घिसी हुई अल्पऔतम प्रसंस्कृत सब्जियाँ (जिसके अंतर्गत मशूरम और कवकों, जड़ों और कंदों, ताजा दालों और फलियां, और एलोवेरा भी है), समुद्री शैवाल, नट्स और बीज”;

(ख) स्तंभ 3 में खाद्य सहयोज्य “कैल्शियम कार्बोनेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (3) से (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“सिट्रिक अम्ल	330	जीएमपी	
एस्कोर्बिक एसिड	300	जीएमपी	
कैल्शियम एस्कोर्वेट	302	जीएमपी	
पोटाशियम कार्बोनेट	501	जीएमपी”;	

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 4.1 में, उपमद 4.1.2.8, के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य “सल्फाईट्स” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तंभ (3) से (6) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“कैल्शियम क्लोराइड	509	जीएमपी	323
कैल्शियम सल्फेट	516	जीएमपी	323”;

(v) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 4.2 में, उपमद 4.2.2.3, के स्तंभ (3) में खाद्य सहयोज्य “सल्फाईट्स” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तंभ (3) से (6) में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“फेरस ग्लुकोनेट	579	150 मिग्रा/किग्रा	48,23
फेरस लैक्टेट	585	150 मिग्रा/किग्रा	48,23”;

(ड) सारणी 5 के स्तंभ (1) में, - (i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.1 के स्तम्भ (2) में एनालाग और चॉकलेट के विकल्प सहित कोकोआ उत्पाद और चॉकलेट उत्पाद प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी अर्थात्,-

“कोको उत्पाद और चॉकलेट उत्पाद जिसके अंतर्गत अनुकृत चॉकलेट और चॉकलेट प्रतिस्थायी उत्पाद”;

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.1 के, उप-मद 5.1.1 स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “L- टरटेरिक एसिड ”और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (3) से (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-



खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
"वसीय अम्लों के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	475	5,000 मिग्रा/किग्रा	XS141, 97
अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	5,000 मिग्रा/किग्रा	XS141, 97
<b>वसीय अम्लों के सोर्बिटान ईस्टर</b>		2,000 मिग्रा/किग्रा	XS141, 97, 123";

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.1 के, उप-मद 5.1.2 स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य "सूक्रालोज (ट्राइक्लोरोगैलेक्टोसूक्रोज) "और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (3) से (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
<b>"टारट्रेट</b>		2,000 मिग्रा/किग्रा	45
<b>टोकोफेरॉल</b>		500 मिग्रा/किग्रा	15";

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.1 के, उप-मद 5.1.3,-

(क) खाद्य सहयोज्य "अंगूर छाल अर्क" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (3) से (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
"इंडिगोटिन (इंडिगो कार्माइन)	132	200 मिग्रा/किग्रा"	

(ख) स्तम्भ (6) में खाद्य सहयोज्य "टीबीएचक्यू" के सामने "15,130,141" प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएगी।

(ग) खाद्य सहयोज्य "सेलेक ब्लिचड" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात स्तम्भ (3) से (6) में क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात्,-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
"पोलिग्लिसरोल पोलिराइसनिओलियेट	476	5 मिग्रा/किग्रा"	

(घ) स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य "सनसेट येलो एफ़सीएफ़" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात्, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात्:-

"टेरटैरी ब्यूटिलहाइड्रोक्विनोन (टीबीएचक्यू)	319	जीएमपी	15,130,141"
---	-----	--------	-------------

(ङ) स्तम्भ (5) में, खाद्य सहयोज्य **क्लोरोफिल और क्लोरोफिलिन, कॉपर मिश्र** से संबंधित प्रविष्टि "6 मिग्रा/किग्रा" के स्थान पर "700 मिग्रा/किग्रा" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(च) स्तम्भ (5) में, खाद्य सहयोज्य **पोलिसोर्बेट** से संबंधित प्रविष्टि "1,000 मिग्रा/किग्रा" के स्थान पर "5,000 मिग्रा/किग्रा" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(छ) स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“वसीय अम्लों के पोलिग्लिसरोल एस्टर्स	475	2,000 मिग्रा/किग्रा	में चोकोलेट्स भारानुसार
अंतः ईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	5,000 मिग्रा/किग्रा	101”;

(ज) स्तम्भ(3) , खाद्य सहयोज्य “वसीय अम्लों के सोर्वितान एस्टर्स ”और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ रखी जाएगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“वसीय अम्लों के सोर्वितान एस्टर्स		10,000 मिग्रा/किग्रा	101”;

(झ) स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “एल-टार्टेरीक अम्ल” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
एरंड तेल	1503	350 मिग्रा/किग्रा	
<b>ट्रोकोफेरॉल</b>		750 मिग्रा/किग्रा	15,168”;

(व) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.1 में, उप-मद 5.1.4 में,-

(क) स्तम्भ (2) में “चाँकलेट विकल्पी और उनके उत्पाद” प्रविष्टि के स्थान पर “अनुकृत चाँकलेट, चाँकलेट विकल्पी उत्पाद” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) खाद्य सहयोज्य “बेंजोएट्स” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“बीसवैक्स	901	जीएमपी	3” ;

(ग) स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “पोलीग्लाइकोल पोली रिसिनेओलेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	5,000 मिग्रा/किग्रा	366”;

(घ) स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “सेफ़ोन” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“पोलिडाइमिटाइल- साइलोकसेन	900a	10 मिग्रा/किग्रा	
वसीय अम्लों के पोलिगिसरोल ईस्टर	475	2,000 मिग्रा/किग्रा	366
सूक्रोग्लिसराइड	474	6,000 मिग्रा/किग्रा	348
सूक्रोज ओलिगोईस्टर, टाइप-I और टाइप-II	473a	6,000 मिग्रा/किग्रा	348
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	6,000 मिग्रा/किग्रा	348
टारट्रेट		5,000 मिग्रा/किग्रा	45
टोकोफ़ेरोल		500 मिग्रा/किग्रा	15
वसीय अम्लों के सोर्बिटान एस्टर्स		10,000 मिग्रा/किग्रा	”;

(vi) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.2 में,

(क) खाद्य सहयोज्य “सल्फर डाइऑक्साइड” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (5) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर
“इंडिगोटिन (इंडिगो कार्माइन)	132	100 मिग्रा/किग्रा”;

(ख) खाद्य सहयोज्य “खनिज तेल, उच्च श्यानता” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“सेलेक, ब्लिचड	904	GMP	3
सूक्रोज ओलिगोईस्टर, टाइप-I और टाइप-II	473a	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
वसीय अम्लों के सूक्रोज ईस्टर	473	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
वसीय अम्लों के पोलिगिसरोल ईस्टर	475	2,000 मिग्रा/किग्रा	367
टारट्रेट		2,000 मिग्रा/किग्रा	45
सोडियम डाइ एसीटेट	262 (ii)	1,000 मिग्रा/किग्रा	
स्टेरोइल लेक्टोलेट्स	481(i), 482(i)	5,000 मिग्रा/किग्रा	”;

(vii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.2 में, उप-मद 5.2.1 के, स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “एल- टार्टरिक एसिड्स” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	3,000 मिग्रा/किग्रा	
<b>टोकोफेरोल</b>		500 मिग्रा/किग्रा	15
<b>वसीय अम्लों के सोर्बिटान एस्टर्स</b>		10,000 मिग्रा/किग्रा	”;

(viii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.2 में, उप-मद 5.2.2 के, स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “शैलेक ब्लीचड” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	3,000 मिग्रा/किग्रा	
प्रोपाइलीन ग्लाइकोल	1520	4,500 मिग्रा/किग्रा	
<b>वसीय अम्लों के सोर्बिटान एस्टर्स</b>		10,000 मिग्रा/किग्रा	
हाइड्रोजिनेटेड पॉली-1 डेसीन्स	907	2,000 मिग्रा/किग्रा	
वसीय अम्लों के सुक्रोज एस्टर्स	473	5,000 मिग्रा/किग्रा	348”;

(ix) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 5.4 में, स्तम्भ (3), खाद्य सहयोज्य “खनिज तेल, उच्च श्यानता” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“ अलूरा लाल	129	100 मिग्रा/किग्रा	
अंगूर के छिलके	163(ii)	500 मिग्रा/किग्रा	181
खनिज तेल, मध्यम चिपचिपाहट	905e	2,000 मिग्रा/किग्रा	XS 86, XS 105, 3, XS 141, XS 87
फैटी एसिड की पॉली ग्लिसरोल एस्टर	475	2,000 मिग्रा/किग्रा	368
अंतःईस्ट्रीकृत राइसीनोलीक एसिड के पोलिग्लिसरोल ईस्टर	476	5,000 मिग्रा/किग्रा	

प्रोपीलीन ग्लाइकोल एल्गनेट	405	5,000 मिग्रा/किग्रा	
<b>वसीय अम्लों के सोर्बिटान एस्टर्स</b>		10,000 मिग्रा/किग्रा	
स्टीयरोइल लैक्टिलाइट्स		2,000 मिग्रा/किग्रा	
सुक्रोग्लिसराइड	474	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
सुक्रोज ऑलोगेस्टर्स, टाइप I और टाइप II	473a	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
फैटी एसिड के सुक्रोज एस्टर	473	5,000 मिग्रा/किग्रा	348
<b>टाट्रेट्स</b>		8,000 मिग्रा/किग्रा	45
<b>टोकोफेरल्स</b>		500 मिग्रा/किग्रा	15";

(च) सारणी 6, के स्तभ (1) में, शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 6.3 में, स्तभ (3), खाद्य सहयोज्य "सनसेट येलो एफसीएफ" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
<b>"टोकोफेरल्स</b>		200 मिग्रा/किग्रा";	

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 6.5 में,

(क) स्तम्भ(3) की प्रविष्टि "कार्बोक्सी मिथाइल सेल्युलोज" के स्थान पर "सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज (सेल्युलोज गम), सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज, एन्जाइमों से जल-अपघटित (सेल्युलोज गम, एन्जाइमों से जल-अपघटित)" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (4) में, खाद्य सहयोज्य फास्ट ग्रीन एफसीएफ के सामने आने वाली प्रविष्टि "110" के स्थान पर "143" प्रविष्टि रखी जाएगी।;

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 6.6 में, स्तम्भ (5) में सहयोज्य "टार्टेरिक एसिड" के सामने आने वाली प्रविष्टि "जीएमपी" प्रविष्टि अन्तस्थापित की जाएगी;

(छ) सारणी 7, के स्तभ (1) में-

(i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 7.1 में, उप-मद 7.1.4 में,

(क) स्तम्भ (6) में, खाद्य सहयोज्य "फॉस्फेट्स" के सामने आने वाली प्रविष्टियों "229, 33, 33", के स्थान पर प्रविष्टियाँ "229", "33" रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (3) में खाद्य सहयोज्य "पोलीसोर्वेटस" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
फैटी एसिड के पॉलीग्लिसराल एस्टर	475	10,000 मिग्रा/किग्रा”;	

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 7.2 में, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“स्टीयरोइल लैक्टिलाइट्स		5,000 मिग्रा/किग्रा	
वसीय अम्ल के सॉर्विटान ईस्टर्स		10,000 मिग्रा/किग्रा	
नाइसिन	234	6.25 मिग्रा/किग्रा	233
पोलिऑक्सिथलीन स्टीयरेट्स		3,000 मिग्रा/किग्रा	
प्रोपलीन ग्लाइकोल	1520	1,500 मिग्रा/किग्रा	
सुक्रोज ऑलोगेस्टर्स, टाइप I और टाइप II	473a	10,000 मिग्रा/किग्रा	348
पॉसेऊ 4 आर	124	50 मिग्रा/किग्रा	
सनसेट येले एफसीएफ	110	50 मिग्रा/किग्रा	

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 7.2 में, उप मद 7.2.1 में,-

(क) खाद्य सहयोज्य “फॉस्फेटस ”और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“पॉसेऊ 4 आर	124	50 मिग्रा/किग्रा	”;

(ख) खाद्य सहयोज्य “सुक्रोग्लिसराइड” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“सनसेट येले एफसीएफ	110	50 मिग्रा/किग्रा	”;

(ग) स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “पोटेशियम आयोडेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थातः-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“वसीय अम्ल के पॉलीग्लिसराल एस्टर	475	10,000 मिग्रा/किग्रा	

टोकोफेरोल्स		200 मिग्रा/किग्रा	389
टाट्रेट्स		5,000 मिग्रा/किग्रा	45
प्रोपीलीन ग्लाइकोल एल्गनेट	405	3,000 मिग्रा/किग्रा ”;	

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 7.2 में, उप मद 7.2.2 में,-

(क) खाद्य सहयोज्य “पोलीसोर्बेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“नाइसिन	234	12.5 मिग्रा/किग्रा	”;

(ख) खाद्य सहयोज्य “फॉस्फेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“पोसेऊ 4 आर	124	50 मिग्रा/किग्रा	”;

(ग) खाद्य सहयोज्य “सनसेट येलोएफ्रसीएफ्र” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“वसीय अम्ल के पॉलीग्लिसराल एस्टर	475	10,000 मिग्रा/किग्रा	”;

(v) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 7.2 में, उप मद 7.2.3 में,-

(क) खाद्य सहयोज्य “फॉस्फेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“पोसेऊ 4 आर	124	50 मिग्रा/किग्रा	”;

(ख) खाद्य सहयोज्य “सनसेट येलोएफ्रसीएफ्र” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“वसीय अम्ल के पॉलीग्लिसराल एस्टर	475	15,000 मिग्रा/किग्रा	11”;

(ज) सारणी 8, के स्तभ (1) में,-

(i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 8.2 में, उप मद 8.2.2 में, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “सुक्रोग्लिसराइडस” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“टोकोफेरॉलस		500 मिग्रा/किग्रा	XS 96, XS 97”;

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 8.2 में, उप मद 8.2.3 में, खाद्य पदार्थ श्रेणी जमे हुए प्रसंस्कृत मांस, पोल्ट्री, शिकार का माँस और उससे बने पूर्ण भाग या टुकड़ों के उत्पाद के सामने स्तंभों (3), स्तभ (4), स्तभ (5) और स्तभ (6) में की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी अर्थात्: -

“खनिज तेल, उच्च चिपचिपापन	905d	950 मिग्रा/किग्रा	3
फॉस्फेट		2,200 मिग्रा/किग्रा	33”;

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 8.2 में, उप मद 8.2.3 और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (1) से (6) में निम्नलिखित खाद्य श्रेणी प्रणाली और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“खाद्य श्रेणी प्रणाली	खाद्य वर्ग का नाम	खाद्य सहयोज्य	आईएनएस सं.	अनुशंसित अधिकतम स्तर	टिप्पणी
8.3	प्रसंस्कृत विखण्डित मांस और पोल्ट्री उत्पाद	ब्रिलियंट ब्लू एफसीएफ	133	100 मिग्रा/किग्रा	XS96, XS89, XS98, XS97, 4, 16
		ब्यूटीलाटेड हाइड्रॉक्सीजनोल (बीएचए)	320	200मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 130, 15
		ब्यूटीलाटेड हाइड्रॉक्सीटाइलिन (बीएचटी)	321	100मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 15, 130, 162
		कारमेल III - अमोनिया कारमेल	150c	जीएमपी	XS89, XS98, XS96,



					XS97, 3, 4, 16
		कारमेल IV - सल्फाइड अमोनिया कारमेल	150d	जीएमपी	XS89, XS98, XS96, XS97, 3, 4, 16
		इरीथ्रोसिन	127	30 मिग्रा/किग्रा	4, 290
		अंगूर के छिलके	163(ii)	5,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 16
		नाइट्राइट्स		80 मिग्रा/किग्रा	286, 32
		पेप्रिका ओलेरेसिन	160c(i)	जीएमपी	
		<b>फॉस्फेट</b>		2,200 मिग्रा/किग्रा	33, 302
		पोलीसोर्वेट्स		5,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98
		रिबोफ्लाविंस		1,000 मिग्रा/किग्रा	XS96, XS97, 16
		प्रोपील गैलेट	310	200 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 15, 130
		प्रोपीलीन ग्लाइकॉल एल्गनेट	405	3,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98
		<b>सोरबेट्स</b>		1,500 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98, 42
		सोडियम डाइसेटेट	262(ii)	1,000 मिग्रा/किग्रा	XS89, XS98

		<b>टोकोफेरोल्स</b>		500 मिग्रा/किग्रा	XS 89, XS 98
		तृतीयक ब्युटिलहाइड्रोक्विनोन (टीबीएचक्यू)	319	100 मिग्रा/किग्रा	XS 89, XS 98, 15, 130, 162";

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 8.3 में, उप मद 8.3 में,-

(क) स्तम्भ (4) में बीटा कैरोटीन, सब्जियों के सामने की प्रविष्टि "160 (ii)" के स्थान पर, "160 क (ii)" प्रविष्टि रखी जाएगी।

(ख) स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य "सनसेट येलो एफ़सीएफ़" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
<b>"टोकोफेरोल्स</b>		500 मिग्रा/किग्रा	XS 89 , XS 98";

(i) सारणी 9 के स्तम्भ (1) में,-

(i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 9.2 में, उप मद 9.2.5, के स्तम्भ (5) में, खाद्य सहयोज्य सॉब्रेट्स के सामने "1000 मिग्रा "किग्रा /प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी;

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 9.3 में, उप मद 9.3.3, के स्तम्भ (4) में, खाद्य सहयोज्य पोसेऊ 4 आर के सामने "124" प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी;

(ज) सारणी 10, के स्तम्भ (1) में,-

(i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 10.2 में, उप मद 10.2.1 में, खाद्य सहयोज्य "टेरा गम" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
<b>"ट्रायथिल साइट्रेट</b>	1505	2,500 मिग्रा/किग्रा	47";

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 10.2 में, उप मद 10.2.2 में, खाद्य सहयोज्य "एथिलीन डाएमाइन टेट्रा ऐसीटेट" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
<b>"सोरबेट्स</b>		1,000 मिग्रा/किग्रा	42";

(iii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 10.4 में, स्तम्भ (4) में, खाद्य सहयोज्य कारमेल III- अमोनिया कारमेल आने वाली प्रविष्टि "150 घ" के स्थान पर "150 ग" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ट) सारणी 11, के स्तम्भ (1) में,-

(i) खाद्य श्रेणी प्रणाली के लिए 11.1.6, के स्थान पर, स्तम्भ (1) से (6) में निम्नलिखित खाद्य श्रेणी प्रणाली और उससे संबन्धित प्रविष्टियों रखी जाएगी अर्थात्

<b>"11.1.6</b>	<b>गुड़ या जैगरी</b>	सल्फाइडस		50 मिग्रा/किग्रा	अंतिम उत्पाद में 50 मिग्रा / किग्रा से अधिक अवशेष नहीं होने चाहिए";
----------------	----------------------	----------	--	------------------	---

(ii) खाद्य श्रेणी प्रणाली 11.1.6 उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (1) से (6) में निम्नलिखित खाद्य श्रेणी प्रणाली और उससे संबन्धित प्रविष्टियों रखी जाएगी अर्थात् :-

<b>"खाद्य श्रेणी प्रणाली (1)</b>	<b>खाद्य वर्ग का नाम (2)</b>	<b>खाद्य सहयोज्य (3)</b>	<b>आईएनएस सं. (4)</b>	<b>अनुशंसित अधिकतम स्तर (5)</b>	<b>टिप्पणी (6)</b>
<b>11.1.6.1</b>	गन्ने से बना गुड़				
<b>11.1.6.2</b>	ताड़ से बना गुड़				
<b>11.1.6.3</b>	खजूर से बना गुड़				";

(ठ) सारणी 12, के स्तम्भ (1) में,-

(i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 12.1 में, उप मद 12.1.1में, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य "सोडियम 300द्रोली सिलिकेट" के स्थान पर, खाद्य सहयोज्य "सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट" रखा जाएगा;

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 12.1 में, उप मद 12.1.1में, स्तम्भ (2) में, जड़ी-बूटियाँ और मसालो सहित के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्: -

बूटियाँ, मसालों, मसाला मिश्रण, जिसमें ओलेरेसिन्स या उसके अर्क व्युत्पत्तियां सम्मिलित है।

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 12.2 में, उप मद 12.2.2 में, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य "टार्टरिक एसिड" और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
कारमेल IV-सल्फेट अमोनिया कारमेल	150d	10,000 मिग्रा/किग्रा	
पेपरिका ओलेरेसिन	160c(i)	जीएमपी	";

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 12.5 में, उप मद 12.5.2, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य "सोडियम 303द्रोली सिलिकेट" के स्थान पर, खाद्य सहयोज्य "सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट" रखा जाएगा;

(v) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 12.6 में, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “डाइमिथाइल पॉलिसिलोक्सेन” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियाँ अंतः रखी जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“प्रोपिलीन ग्लाइकोल एल्गिनेट”	405	200 मिग्रा/किग्रा	”;

(ड) सारणी 14, के स्तम्भ (1) में, (i) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.1 में, उप मद 14.1.2.1, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “एस्टर गम” के स्थान पर, खाद्य सहयोज्य “बुड रेसिन के ग्लिसराॅल एस्टर्स” को रखा जाएगा;

(ii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.1 में, उप मद 14.1.2.3, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “नाइट्रोजन” के पश्चात खाद्य सहयोज्य “कार्बन डाइऑक्साईड” और स्तंभ (4) (5) और (6) की तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.1 में, उप मद 14.1.2.4,-

(क) स्तम्भ (3) की प्रविष्टि “खाद्य तेलों के वसीय अम्लों के मोनो और डाईग्लिसराइड” के स्थान पर “वसीय अम्लों के मोनो और डाईग्लिसराइड” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ख) स्तम्भ (4) में खाद्य सहयोज्य “नाइट्रोजन” के सामने की प्रविष्टि “918” के स्थान पर “941” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.1 में, उप मद 14.1.3.2, स्तम्भ (3) में, खाद्य सहयोज्य “केरेमल” के पश्चात खाद्य सहयोज्य “कर्कुमीन” और स्तंभ (4) , (5) और (6) की तत्स्थानी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(iii) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.1 में, उप मद 14.1.4, स्तम्भ (6) में, खाद्य सहयोज्य “कुलीला एक्सट्रेक्ट” से संबन्धित प्रविष्टि “293, 132, 168” के स्थान पर प्रविष्टि “293, 132” रखी जाएगी;

(v) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.1 में, उप मद 14.1.4.2,-

(क) खाद्य सहयोज्य “कैरोटिनोइड” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“कैथाजैथीन	161ग्रा	200 मिग्रा/किग्रा	
राइबोफ्लेविन		200 मिग्रा/किग्रा	”;

(ख) स्तम्भ (4) में खाद्य सहयोज्य एन्नाटो के सामने की प्रविष्टि “160(ख)” के स्थान पर “160ख(i), (ii)” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ग) खाद्य सहयोज्य “कैल्शियम अल्गिनेट” और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, स्तम्भ (3) से (6) में निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और उससे संबन्धित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
“एल-टाॅरैरिक एसिड	334	जीएमपी	”;

(vi) शीर्षक खाद्य श्रेणी प्रणाली के अधीन, मद 14.2 में, उप मद 14.2.3 में, स्तंभ (3) में,-

(क) खाद्य सहयोज्य "मैलिक एसिड डीएल" के स्थान पर खाद्य सहयोज्य "मैलिक एसिड, डीएल-, एल-" रखा जाएगा;

(ख) स्तम्भ (3) से (6) की प्रविष्टियों,

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
"पोटेशियम एल(+)-टार्टरेट	336	जीएमपी	”;
पोटेशियम डी, एल- टार्टरेट			

निम्नलिखित खाद्य सहयोज्य और प्रविष्टियों को स्तम्भ (3) से (6) में रखी जाएंगी, अर्थात:-

खाद्य सहयोज्य	आईएनएस संख्या	सिफ़ारिश किया गया अधिकतम स्तर	टिप्पण
"पोटेशियम- डी, एल-, एल(+)-टार्टरेट, पोटेशियम बाईटार्टरेट	336	जीएमपी	”;

3. उक्त विनियमों की परिशिष्ट 1 में, सहयोज्य 'एथिलेन्स डायथेनाइन टेट्रा एसीटेट' के सहयोज्य समूह और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित सहयोज्य समूह और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी।

समूह का नाम	सहयोज्य का नाम	आईएनएस सं
"वसीय अम्लों के सॉर्विटान ईस्टर्स	सोरबिटन मोनोलोरेट	493
	सोरबिटन मोनोलेएट	494
	सोरबिटन मोनोपेलमिनेट	495
	सोरबिटन मोनोस्ट्रेट	491
	सोरबिटन ट्राईस्ट्रेट	492”;

4. उक्त विनियमों में, सारणी 1 से 15 में उल्लिखित खाद्य सहयोज्य के टिप्पण में टिप्पण संख्याक एक्स टी 102 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

टिप्पण संख्याक	सारणी 1 से 15 में उल्लेखित खाद्य योजकों के लिए टिप्पण
323	फर्मिंग एजेंट के रूप में उपयोग के लिए
348	एकात्मक या संयोजन के रूप में: फैटी एसिड के सुक्रोज एस्टर (473 आईएनएस), सोक्रोस ऑलगोजेस्टर्स, टाइप और टाइप II (आईएनएस 473ए) और (सुक्रोग्ल्सराइड्स 474 आईएनएस)
359	डेयरी वसा को छोड़कर $\geq 70\%$ दूध वसा सामग्री के साथ फैलता है
360	डेयरी वसा में केवल $<70\%$ वसा सामग्री या बेकिंग उद्देश्यों वाले उत्पादों तक ही सीमित होता है।
363	नूडल्स या बेकरी उत्पादों के उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले पायसीकरक तेलों के लिए 50,000 मिग्रा / किग्रा पर उपयोग के लिए।
366	10,000 मिग्रा / किग्रा अनुकरण चॉकलेट में $> 5\%$ पानी की सामग्री के साथ।
367	10,000 मिग्रा / किग्रा में कैंडी में उपयोग के लिए 10% से कम तेल नहीं है
368	व्हीप्ड सजावट में 10,000 मिग्रा / किग्रा पर उपयोग के लिए

389	अखरोट पेस्ट वाले उत्पादों में 500 मिग्रा / किग्रा पर उपयोग के अलावा
XS 86	कोको मक्खन के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर
XS 87	चाँकलेट तथा चाँकलेट उत्पादों के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर";
XS 105	कोको पाउडर और कोको और शुगर्स का सूखा मिश्रण के मानकों का (कोकोआ) अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर
XS141	कोको कोकोआ मास (कोका/चाँकलेट लीकर) और कोको केक के मानकों का अनुपालन (काकोआ) करने वाले उत्पादों को छोड़कर
XS240	जलीय नारियल उत्पाद के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर।
XS314R	खजूर के पेस्ट के मानकों का अनुपालन करने वाले उत्पादों को छोड़कर।";

5. उक्त विनियमों में की जीएमपी सारणी की परिशिष्ट में की

(क) क्रम संख्या 22 में प्रविष्टि में, "छिले हुए या कटे हुए ताजे फल" के स्थान पर खाद्य श्रेणी संख्या 4.1.1.3 के सामने छिले हुए या कटे हुए ताजे फल के लिए निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी।

**"छिले या कटे हुए निम्नतम प्रसंकृत फल";**

(ख) क्रम संख्या 26 में प्रविष्टि में, खाद्य श्रेणी संख्या 4.2.1.3 के सामने स्तभ (3) में "छिले हुए या कटी हुई ताजी सब्जियां (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, दाल और फलियां, और मुसब्बर, ग्वारपाटा), समुद्री शैवाल, और नट और बीज" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी

"छिली हुई, कटी हुई या कम से कम प्रसंकृत सब्जियां (मशरूम और कवक, जड़ और कंद, ताजे दालों और फलियां, और मुसब्बर, ग्वारपाटा सहित) समुद्र शैवाल, नट और बीज)";

(ग) क्रम संख्याक 60 तथा उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी अर्थात:-

60क	11.1.6	गुड़
60ख	11.1.6.1	गन्ने से बना हुआ गुड़
60ग	11.1.6.2	ताड़ से बना हुआ गुड़
60घ	11.1.6.3	खजूर से बना हुआ गुड़

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन - III/4/असा./339/18]

**टिप्पणी.-** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. फाइल सं. 2-15015/30/2010, दिनांक 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं संख्यको द्वारा संशोधित किए गए थे; -

- (i) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 7 जून, 2013;
- (ii) फा.सं. पी./15014/1/2011-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 27 जून, 2013;
- (iii) फा.सं. 5/15015/30/2012, तारीख 12 जुलाई, 2013;
- (iv) फा.सं. पी.15025/262/2013-पीए/एफ़एसएसएआई, तारीख 5 दिसंबर, 2014;
- (v) फा.सं. 1-83एफ़/एससीआई° पीएन-अधि°/एफ़एसएसएआई-2012, तारीख 17 फरवरी, 2015;

- (vi) फा.सं. 4/15015/30/2011, तारीख 4 अगस्त, 2015;
- (vii) फा.सं. पी. 15025/263/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (viii) फा.सं.पी.15025/264/13-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 4 नवम्बर, 2015;
- (ix) फा.सं.पी.15025/261-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (x) फा.सं.पी.15025/208/2013-पीए/एफएसएसएआई, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xi) फा.सं.7/15015/30/2012, तारीख 13 नवम्बर, 2015;
- (xii) फा.सं.1-10(1)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(फिश एंड फिशरिज प्रोडक्ट्स)/एफएसएसएआई-2013, तारीख 11 जनवरी, 2016;
- (xiii) फा. सं. 3-16/विनिर्दिष्ट खाद्य/अधिसूचना (खाद्य सहयोज्य)/एफएसएसएआई-2014, तारीख 3 मई, 2016;
- (xiv) फा. सं. 15-03/ईएनएफ/एफएसएसएआई-2014, तारीख 14 जून, 2016;
- (xv) फा. सं. 3-14 एफ/ अधिसूचना (न्यूट्रास्टिकल्स)/एफएसएसएआई - 2013, तारीख 13 जुलाई, 2016;
- (xvi) फा.सं.1-12/मानक /एस. पी.(मधु, मधुकारक)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2015, तारीख 15 जुलाई, 2016;
- (xvii) फा.सं.1-120(2)/मानक/किरणित/एफएसएसएआई-2015, तारीख 23 अगस्त, 2016;
- (xviii) फा. सं. /11/09/रेग./हार्मोनाइजेशन/2017, तारीख 5 सितंबर, 2016
- (xix) फा.सं. मानक/सीपीएलक्यू.सीपी/ईएम/एफएसएसएआई-2015, तारीख 14 सितंबर, 2016;
- (xx) फा.सं.11/12/विनि./प्रोप./एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
- (xxi) एफ सं. 1-110(2)/एसपी (जैविक खतरे)/एफएसएसएआई/2010, तारीख 10 अक्तूबर, 2016;
- (xxii) फा. सं. मानक/एसपी(जल एवं पेय)/अधि(2)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 25 अक्तूबर, 2016;
- (xxiii) फा. सं. 1-11(1)/मानक/एसपी (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 नवंबर, 2016;
- (xxiv) फा.सं. पी./15025/93/2011-पीएफए/एफएसएसएआई, तारीख 2 दिसंबर, 2016;
- (xxv) फा. सं. पी.15025/6/2004-पीएफएस/एफएसएसएआई, तारीख 29 दिसंबर, 2016;
- (xxvi) फा. सं. मानक/ओ.एंड एफ./अधिसूचना(1)/एफ.एस.एस.ए.आई.-2016, तारीख 31 जनवरी, 2017;
- (xxvii) फा.सं. 1-12/मानक/2012-एफएसएसएआई, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- (xxviii) फा. सं. 1-10(7)/स्टैंडर्ड्स/एसपी(मत्स्य और मत्स्य उत्पाद) एफएसएसएआई-2013, तारीख 13 फरवरी, 2017;
- (xxix) फा. सं. मानक/एससीएसएसएंडएच/अधिसूचना(02)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 15 मई, 2017;
- (xxx) फा. सं. मानक /03/अधिसूचना (एलएस)/एफएसएसएआई-2017, तारीख 19 जून, 2017;
- (xxxii) फा.सं.1/योजक/मानक/14.2.अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 31 जुलाई, 2017;
- (xxxiii) फा. सं. मानक /एफ एंड बीपी/अधिसूचना (01)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 2 अगस्त, 2017;
- (xxxiv) फा. सं. 1-94(1)/एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014, तारीख 11 सितंबर, 2017;
- (xxxv) फा. सं. मानक /एम एंड एमपीआईपी(1)/एसपी /एफएसएसएआई-2015, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- (xxxvi) फा.सं. मानक/एसपी (पानी एवं पेय)/ अधि.(1)/एफएसएसएआई/2016, तारीख 15 सितंबर, 2017;
- (xxxvii) फा.सं. 1-10(8)/मानक/एसपी(मछली और मछली उत्पाद)/एफएसएसएआई.-2013, तारीख 15 सितंबर, 2017;

- (xxxvii) फा. सं. 2/स्टैंडस/सीपीएल एंड सीपी/अधिसूचना/एफएसएसएआई-2016, तारीख 18 सितंबर, 2017;
- (xxxviii) फा. सं. ए-1(1)/मानक/एमएमपी/2012, तारीख 12 अक्तूबर, 2017;
- (xxxix) एफ.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(3)/एफएसएसएआई -2016, तारीख 12 अक्तूबर, 2017;
- (xl) फा.सं. 2/स्टैंडस/सी पी एल एंड सी पी/अधिसूचना/एफ एस एस ए आई-2016(भाग), तारीख 24 अक्तूबर, 2017;
- (xli) फा.सं.ए-1/मानक/एममार्क/2012-एफ.एस.एस.ए.आई.(भाग I), तारीख 17 नवंबर, 2017;
- (xlii) फा. सं. 1/योजक/मानक/बीआईएस अधिसूचना/एफएसएसएआई/2016, तारीख 17 नवंबर, 2017;
- (xliii) फा.सं.मानक/ओएवंएफ/अधिसूचना(5)/एफएसएसएआई -2017, 2016 तारीख 20 फरवरी,2018;
- (xliv) फा. सं. स्टैंडर्ड/01-एस पी( फोरटिफाईड और एनरिचड फूड)-रेग/एफ एस एस ए आई-2017, तारीख 13 मार्च, 2018;
- (xlv) फा.सं.1-110 (3)/ एसपी (जैविक खतरे)/ एफएसएसएआई/ 2010, तारीख 21 मार्च, 2018;
- (xlvi) फा.सं. स्टैंडर्ड्स/एससीएसएस एंड एच/नोटिफिकेशन (03)/एफएसएसएआई-2016, तारीख 10 अप्रैल, 2018;
- (xlvii) फा.सं. स्टैंडर्ड्स/सीपीएल एंड सीपी 20/एफएसएसएआई/अधिसूचना-2016, तारीख 4 मई, 2018;
- (xlviii) फा. सं. एसटीडीएस/एसपी (एससीएसएसएच)/आइस लोलीस नोटिफिकेशन/एफ.एस.एस.ए.आई-2018, तारीख 20 जुलाई, 2018;
- (xlix) फा.सं. मानक/एसपी (3) अधिसूचना (जल और सुपेय) एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 जुलाई, 2018; और
- (l) फा.सं. मानक/सीपीएल और सीपी/प्रारूप अधिसूचना/भाखासुमाप्रा-2017, तारीख 31 जुलाई, 2018;

### MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2018

**F. No.1/Additional Additives/Std/Notification/FSSAI/2016.**—Whereas the draft of certain regulations, namely-

- (i) the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017 *vide* notification number F. No. 1/Additional Additives/stds/Notification/FSSAI/2016 dated the 7<sup>th</sup> November, 2017; and
- (ii) the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2017 *vide* notification number F. No. 1/Additional Additives/stds/Notification/FSSAI/2017, dated the 7<sup>th</sup> November, 2017,

were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4 inviting objections and suggestions from persons likely to be affected thereby before the expiry of period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas copies of the said two Gazette notifications were made available to the public on the 20<sup>th</sup> November, 2017 and 13<sup>th</sup> November, 2017, respectively;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said two draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 read with section 16 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, namely:-



**Regulations**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Tenth Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 (hereinafter referred to as the said regulations), in Chapter 3,-

(I) in regulation 3.1 relating to "FOOD ADDITIVES", in sub-regulations 3.1.1, in clause (6), the following shall be inserted at the end, namely :-

"Unless otherwise specified, maximum use levels for additives in Tables are set on the final product as consumed.";

(II) in Appendix A,-

(1) under the heading "I. FOOD CATEGORY SYSTEM",-

(a) in the food category 1.0,-

(i) in item 1.3, after sub-item 1.3.2, the following sub- item shall be inserted, namely:-

"1.3.2.1 **Non - dairy based beverage whitener**";

(ii) in item 1.5, after sub-item 1.5.1, the following sub-item shall be inserted, namely:-

"1.5.1.1 **Dairy based dairy whitener**";

(b) in the food category 4.0,-

(i) in item 4.1.1 for sub-item 4.1.1.3 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

"4.1.1.3 **Peeled or cut, minimally processed fruit**";

(ii) for sub-item 4.1.2.6 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

"4.1.2.6 **Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of food-category 4.1.2.5**";

(iii) for sub-item 4.2.1.3 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

"4.2.1.3 **Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables [(including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds]**";

(c) in the food category 11.0, in item 11.1, after sub-item 11.1.5, the following sub-item and entries shall be inserted, namely:-

"11.1.6 Gur or Jaggery

11.1.6.1 Cane Jaggery or Gur

11.1.6.2 Palm Jaggery or Gur

11.1.6.3 Date Jaggery or Gur";

(d) in food category 12.0, in item 12.2, for sub-item 12.2.1 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

"12.2.1 Herbs, spices, masalas, spice mixtures including oleoresins or extracts/derivatives thereof";

(2) under the heading "II. FOOD CATEGORY DESCRIPTIONS",-

(a) in the food category 1.0,-

(i) in item 1.1, for sub-item 1.1.2 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

"1.1.2 **Dairy-based drinks, flavoured or fermented**

Includes all ready-to-drink flavoured and aromatised milk-based fluid beverages and their mixes, excluding mixes for cocoa (cocoa-sugar mixtures, category 5.1.1) such as hot chocolate, chocolate malt drinks, strawberry-flavoured yoghurt drink, whey based drinks, lactic acid bacteria drinks, and lassi (liquid obtained by whipping curd from the lactic acid fermentation of milk, and mixing with sugar or synthetic sweetener)";

(ii) in item 1.3, sub-item 1.3.2.1 shall be omitted;

(iii) in item 1.5, after sub-item 1.5.1, the following sub-item and the entries shall be inserted, namely:-

“1.5.1.1 Dairy based dairy whitener

Milk or cream constituting of milk protein and lactose”;

(b) in the food category 4.0,-

(i) in item 4.1, for sub-item 4.1.1.3 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

“4.1.1.3 Peeled or cut, minimally processed fruit”;

(ii) in item 4.2, for sub-item 4.2.1.3 and the entries relating thereto, the following sub-item and entries shall be substituted, namely:-

“4.2.1.3 Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables [(including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds]”;

(c) in the food category 5.0,-

(i) in item 5.1, for sub-item 5.1.4 and the entries relating thereto, the following sub-item shall be substituted, namely:-

“5.1.4 **Imitation chocolate, chocolate substitute products**”;

(ii) in item 5.2, for sub-items “5.2.1 to 5.2.3 and the entries relating thereto, the following sub-items shall be substituted, namely:-

#### “5.2.1 Hard candy

Products made from water and sugar (simple syrup), colour and flavour that may or may not have a filling, their dietetic counterparts, and products that may or may not contain cocoa. Includes: pastilles and lozenges (rolled, shaped and filled sweetened candy). These types of products may be used as fillings for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4.

#### 5.2.2 Soft candy

Products include soft, chewy products such as caramels (containing sugar syrup, fats, colour and flavour) and their dietetic counterparts; products that may or may not contain cocoa and milk (e.g. toffees and chocolate-flavoured caramels); jelly-based candies (e.g. jelly beans, jellied fruit paste covered in sugar, made from pectin, colour and flavour); and licorice. Also included are halwa, and oriental specialties, such as sweet bean jelly etc. These types of products may be used as fillings for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4.

#### 5.2.3 Nougats and Marzipans

Nougats consist of roasted ground nuts, sugar and cocoa and their dietetic counterparts, that may be consumed as is, or may be used as a filling for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4. Marzipan consists of almond paste and sugar and their dietetic counterparts that may be shaped and coloured for direct consumption, or may be used as a filling for chocolate products within the scope of food categories 5.1.3 and 5.1.4.”;

(d) in the food category 11.0, in item 11.1, after sub-item 11.1.5 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“11.1.6 **Gur or Jaggery** means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of sugarcane or extracted from palmyra palm, date palm or coconut palm.

**11.1.6.1 Cane Jaggery or Gur** means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of or extracted from sugarcane.

**11.1.6.2 Palm Jaggery or Gur** means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of or extracted from palmyra palm or coconut palm.

**11.1.6.3 Date Jaggery or Gur** means the product obtained by boiling or processing juice pressed out of or extracted from date palm.”;

(e) in the food category 12.0,-

(i) for item 12.2 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely:-

**“12.2 Herbs, spices, seasonings, and condiments**

This category describes items intended to enhance the aroma and taste of food. Spices means any form of spice including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant.”;

(ii) for sub-item heading “12.2.1 Herbs and spices including masalas”, the following sub-item heading shall be substituted, namely:-

“12.2.1 Herbs, spices, masalas, spice mixtures including oleoresins or extracts/derivatives thereof.”;

(f) in the food category 15.0,-

(i) in item 15.1 in the sub-heading “Snacks- potato, cereal, flour or starch based (from roots and tubers, pulses and legumes)”, for the words, brackets and figures “but excludes unsweetened crackers (category 7.1.2) such as potato chips”, the following words, brackets and figures shall be substituted, namely:-

“but excludes unsweetened crackers (category 7.1.2). Example includes potato chips”;

(ii) in sub-item 15.2 relating to “Processed nuts, including coated nuts and nut mixtures”, for the words and figures “Chocolate-covered nuts are classified in 5.1.4, and nuts covered in imitation chocolate are included in 5.1.5”, the following words and figures shall be substituted, namely:-

“Chocolate-covered nuts are classified in 5.1.3, and nuts covered in imitation chocolate are included in 5.1.4.”;

(3) under the heading “IV. USE OF FOOD ADDITIVES IN FOOD PRODUCTS”,-

**(a) in Table 1, in column (1),-**

(i) under the heading food category system, in item 1.5 against sub-item 1.5.2, in column (6), for the entries “88, 36” occurring against the food additive “Phosphates”, the entries “88, 33” shall be substituted;

(ii) in food Category System 1.6.1, in column (4), for the entry “160b” occurring against the Food Additive “Annatto”, the entries “160b(i) and (ii)” shall be substituted;

(iii) under the heading food category system, in item 1.6, against sub-item 1.6.2.1, in column (6) occurring against food additive “Hexamethylenetetramine”, the entries “66, 298” shall be inserted;

(iv) under the heading food category system, in item 1.8 against sub-item 1.8.2, in column (2), for the entry “Dried whey and whey products, excluding whey cheese whey powder”, the following entry shall be substituted, namely:-

**“Dried whey and whey products, excluding whey cheeses”;**

**(b) in Table 2, in column (1),-**

(i) under the heading food category system in item 2.1, against sub-item 2.1.2, for the entries in columns (3) to (6)

“Natural and synthetic tocopherols	307	GMP	
ASCORBYL ESTERS		500mg/kg	10”,

the following entries shall be substituted, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“TOCOPHEROLS</b>		GMP	
<b>ASCORBYL ESTERS</b>		500mg/kg	”;

(ii) under the heading food category system, in item 2.2, against sub-item 2.2.2,-

(A) for the entries in columns (3) to (6),

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“Sorbitan monopalmitate/sorbitan monostearate/tristearate</b>	495, 491	1,000 mg/kg	”;

the following shall be substituted , namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	359”;

(B) in column (3), after the food additive “THIODIPROPIONATES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Sucrose oligoesters, Type I and Type II	473a	10,000 mg/kg	348, 360
Sucrose esters of fatty acids	473	10,000 mg/kg	348, 360
Poly glycerol esters of fatty acid	475	5,000 mg/kg	359”;

(iii) under the heading food category system 2.3, in column (3), after food additive “SORBATES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Poly glycerol esters of fatty acid	475	20,000 mg/kg	363
Propylene glycol alginate	405	3,000 mg/kg	
<b>STEAROYL LACTYLATES</b>		3,000 mg/kg	
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		5,000 mg/kg	363
Sucrose esters of fatty acids	473	5,000 mg/kg	363, 102”;

(c) in Table 3, in column (1), under the heading food category system, against item 3.0, in column (5), against the food additive “Propylene glycol esters of fatty acids”, the entry “5,000 mg/Kg” shall be inserted;

(d) in Table 4,-

(i) in column (1), under the heading food category system in item 4.1 against, sub-item 4.1.1.3,-

(A) in column (2), for the entry “Peeled or cut fresh fruits”, the entry “Peeled or cut minimally processed fruits” shall be substituted;

(B) in column (3), after food additive “Calcium Carbonate” and entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Level	Maximum	Note
“Citric acid	330	GMP		
Ascorbic acid	300	GMP		
Potassium carbonate	501	GMP”;		

(ii) under the heading food category system, in item 4.1, against sub-item 4.1.2.8, in column (3), after the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Level	Maximum	Note
“ <b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		5,000 mg/kg		XS314R, XS240
Sucrose esters of fatty acids	473	1,500 mg/kg		348, XS314R”;

(iii) under the heading food category system, in item 4.2, against sub-item 4.2.1.3,-

(A) in column (2), for the entry “Peeled, cut or shredded fresh vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds” the following entry shall be substituted, namely:-

“Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables [(including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds]”;

(B) in column (3), after the food additive “Calcium Carbonate” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Level	Maximum	Note
“Citric acid	330	GMP		
Ascorbic acid	300	GMP		
Calcium ascorbate	302	GMP		
Potassium carbonate	501	GMP”;		

(iv) under the heading food category system, in item 4.2, against sub-item 4.2.2.1, after the food additive “SULFITES” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Calcium chloride	509	GMP	323
Calcium sulphate	516	GMP	323”;

(v) under the heading food category system, in item 4.2 against sub-item 4.2.2.3, in column (3), after the food additive “SULFITES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Ferrous gluconate	579	150 mg/kg	48,23
Ferrous lactate	585	150 mg/kg	48,23”;

(e) in Table 5, in column (1),- (i) under the heading food category system, against items 5.1, in column (2), for entries “Cocoa products and chocolate products including analogue and chocolate substitutes”, the following entries shall be substituted, namely:-

“Cocoa products and chocolate products including imitations and chocolate substitutes”;

(ii) under the heading food category system, in item 5.1, against sub-item 5.1.1, in column (3), after the food additive “L-Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Polyglycerol esters of fatty acid	475	5,000 mg/kg	XS141, 97
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5,000 mg/kg	XS141, 97
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		2,000 mg/kg	XS141, 97, 123”;

(iii) under the heading food category system, in item 5.1, against sub-item 5.1.2, in column (3), after the food additive “Sucralose (Trichlorogalactosucrose)” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“TARTRATES</b>		2,000 mg/kg	45
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15”;

(iv) under the heading food category system, in item 5.1, against sub item 5.1.3,-

(A) after the food additive “Grape skin extract” and the entries relating thereto, the following food additives and entries in column (3) to (6) shall be omitted, namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Indigotine (indigo carmine)	132	200 mg/Kg"	

(B) in column (6), occurring against food additive "TBHQ", the entries "15,130,141" shall be inserted;

(C) after the food additive "Shellac, bleached" and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Polyglycerol polyricinoleate	476	5 g/kg"	

(D) after the food additive "Sunset yellow FCF" and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Tertiary butylhydroquinone(TBHQ)	319	GMP	15,130,141";

(E) for the food additive **CHLOROPHYLLS AND CHLOROPHYLLINS, COPPER COMPLEXES**, in column (5), for the entry "6 mg/kg", the entry "700mg/kg" shall be substituted;

(F) for the food additive "POLYSORBATES", in column (5), for the entry "1,000 mg/kg", the entry "5,000 mg/kg" shall be substituted;

(G) in columns (3), for the food additive "Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid" and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be substituted in column (3) to (6) thereof, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Polyglycerol esters of fatty acid	475	2,000 mg/kg	By weight in chocolates
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5,000 mg/kg	101";

(H) in column (3), for the food additive "Sorbitan esters of fatty acids" and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be substituted in column (3) to (6) thereof, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>"SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	101";

(I) in column (3), after the food additive "L-Tartaric acid" and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6) thereof, namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Castor Oil	1503	350 mg/kg	
<b>TOCOPHEROLS</b>		750 mg/kg	15,168”;

(v) under the heading food category system, in item 5.1, against sub-item 5.1.4,-

(A) in column (2), for the entry “Chocolate substitute and their products”, the entry “Imitation Chocolate, Chocolate substitute products” shall be substituted;

(B) after the food additive “BENZOATES” and the entries relating thereto, the following food additives and entries in column (3) to (6) shall be omitted, namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Beeswax	901	GMP	3”;

(C) in column (3), for the entry “Polyglycol poly ricineolate”, and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be substituted in column (3) to (6) thereof, namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5,000 mg/kg	366”;

(D) in column (3), after the food additive “Saffron” and the entries relating thereto, the following food additives and the entries shall be inserted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Polydimethyl-siloxane	900a	10mg/kg	
Polyglycerol esters of fatty acid	475	2,000mg/kg	366
Sucroglycerides	474	6,000mg/kg	348
Sucrose Oligoesters, Type-I and Type -II	473a	6,000mg/kg	348
Sucrose esters of fatty acid	473	6,000mg/kg	348
<b>TARTRATES</b>		5,000mg/kg	45
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	”;



(vi) under the heading food category system, against item 5.2,-

(A) after the food additive “Sulfur dioxide” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be omitted in column (3) to (5), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level
“Indigotine (Indigo carmine)	132	100 mg/kg”;

(B) after the food additive “Mineral Oil, high viscosity” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Shellac, bleached	904	GMP	3
Sucrose Oligoesters, Type-I and Type -II	473a	5,000mg/kg	348
Sucrose esters of fatty acid	473	5,000mg/kg	348
Polyglycerol esters of fatty acid	475	2,000mg/kg	367
<b>TARTRATES</b>		2,000mg/kg	45
Sodium di acetate	262 (ii)	1,000 mg/kg	
<b>STEROYL LACTILATES</b>	481(i), 482(i)	5,000 mg/kg	”;

(vii) under the heading food category system, in item 5.2, against sub-section 5.2.1, in column (3), after the food additive “L-Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	3,000mg/kg	
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	”;

(viii) under the heading food category system, in item 5.2, against sub-item 5.2.2, in column (3), after the food additive “Shellac, bleached” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	3,000 mg/kg	
Propylene glycol	1520	4,500 mg/kg	
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	

Hydrogenated poly-1-decenes	907	2,000 mg/kg	
Sucrose esters of fatty acid	473	5,000mg/kg	348”;

(ix) under the heading food category system 5.4, in column (3), after the food additive “Mineral Oil, high viscosity” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Allura Red	129	100 mg/kg	
Grape skin extract	163(ii)	500 mg/kg	181
Mineral oil, medium viscosity	905e	2,000 mg/kg	XS 86, XS 105, 3, XS 141, XS 87
Poly glycerol esters of fatty acid	475	2,000 mg/kg	368
Polyglycerol esters of interesterified ricinoleic acid	476	5,000 mg/kg	
Propylene glycol alginate	405	5,000 mg/kg	
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	
<b>STEAROYL LACTYLATES</b>		2,000 mg/kg	
Sucroglycerides	474	5,000 mg/kg	348
Sucrose oligoesters, Type I and Type II	473a	5,000 mg/kg	348
Sucrose esters of fatty acids	473	5,000 mg/kg	348
<b>TARTRATES</b>		8,000 mg/kg	45
<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	15”;

(f) in Table 6, in column (1), under the heading food category , against item 6.3, in column (3), after the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“TOCOPHEROLS</b>		200 mg/kg”;	

(ii) under the heading food category system, in item 6.5,

(A) in column (3) for the entry “Carboxy methyl cellulose”, the entries “Sodium carboxymethyl cellulose (Cellulose gum), Sodium carboxymethyl cellulose, enzymatically hydrolysed (Cellulose gum, enzymatically hydrolyzed)” shall be substituted;

(B) in column (4), for the entry "110" occurring against the food additive "Fast green FCF", the entry "143" shall be substituted;

(iii) under the heading food category , against item 6.6, in column (5) occurring against the food additive "Tartaric acid", the entry "GMP" shall be inserted;

**(g) in Table 7, in column (1),-**

(i) under the heading food category system, item 7.1, against sub-item 7.1.4,

(A) in column (6) occurring against the food additive "PHOSPHATES", for entries "229, 33, 33", the entries "229, 33" shall be substituted;

(B) in column (3), after the food additive "**POLYSORBATES**" and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
Poly glycerol esters of fatty acid	475	10,000 mg/kg";	

(ii) under the heading food category system, against item 7.2, in column (3) to (6), the following food additive and entries shall be inserted, namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>"STEAROYL LACTYLATES</b>		5,000 mg/kg	
<b>SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>		10,000 mg/kg	
Nisin	234	6.25 mg/kg	233
<b>POLYOXYETHYLENE STEARATES</b>		3,000 mg/kg	
Propylene glycol	1520	1,500 mg/kg	
Sucrose oligoesters, Type I and Type II	473a	10,000 mg/kg	348
Ponceau 4R	124	50 mg/kg	
Sunset yellow FCF	110	50 mg/kg	

(iii) under the heading food category system, in item 7.2, against sub-item 7.2.1,-

(A) after the food additive "PHOSPHATES" and the entries relating, the following food additive and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Ponceau 4R	124	50 mg/kg	";

(B) after the food additive "Sucroglycerides" and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
---------------	---------	---------------------------	------

“Sunset yellow FCF	110	50 mg/kg	”;
--------------------	-----	----------	----

(C) in column (3), after the food additive “Potassium iodate” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Poly glycerol esters of fatty acid	475	10,000 mg/kg	
<b>TOCOPHEROLS</b>		200 mg/kg	389
<b>TARTRATES</b>		5,000 mg/kg	45
Propylene glycol alginates	405	3,000 mg/kg”;	

(iv) under the heading food category system, item 7.2, against sub-item 7.2.2,-

(A) after the food additive “POLYSORBATES” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Nisin	234	12.5 mg/kg	”;

(B) after the food additive “PHOSPHATES” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Ponceau 4R	124	50 mg/kg	”;

(C) for the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be substituted in column (3) to (6) thereof, namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Poly glycerol esters of fatty acid	475	10,000 mg/kg	”;

(v) under the heading food category system, in item 7.2, against sub-item 7.2.3,-

(A) after the food additive “PHOSPHATES” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Ponceau 4R	124	50 mg/kg	”;

(B) for the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
"Poly glycerol esters of fatty acid	475	15,000 mg/kg	11";

**(h) in Table 8, in column (1),-**

(i) under the heading food category system, in item 8.2, against sub-item 8.2.2, in column (3), after the additive "Sucroglycerides" and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>"TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	XS 96, XS 97";

(ii) under the heading food category system, in item 8.2, against sub-item 8.2.3 occurring against food category "Frozen processed meat and poultry products in whole pieces or cuts", for the entries in columns (3), (4), (5) and (6), the following entries shall be substituted, namely:-

"Mineral oil, High viscosity	905d	950 mg/kg	3
<b>PHOSPHATES</b>		2,200 mg/kg	33";

(iii) under the heading food category system, in item 8.2, after sub-item 8.2.3, and the entries relating thereto, the following food category system and entries shall be inserted in column (1) to (6), namely:-

"Food Category system	Food Category Name	Food Additive	INS No.	Recommended Maximum level	Note
<b>8.3</b>	<b>Processed comminuted meat and poultry products</b>	Brilliant blue FCF	133	100 mg/kg	XS96, XS89, XS98, XS97, 4, 16
		Butylatedhydroxyanisole (BHA)	320	200mg/kg	XS89, XS98, 130, 15
		Butylatedhydroxytoluene (BHT)	321	100mg/kg	XS89, XS98, 15, 130, 162
		Caramel III - ammonia caramel	150c	GMP	XS89, XS98, XS96, XS97, 3, 4, 16
		Caramel IV - sulfite ammonia caramel	150d	GMP	XS89, XS98, XS96, XS97, 3, 4, 16
		Erythrosine	127	30 mg/kg	4, 290

		Grape skin extract	163(ii)	5,000 mg/kg	XS89, XS98,16
		<b>NITRITES</b>		80 mg/kg	286, 32
		Paprika oleoresin	160c(i)	GMP	
		<b>PHOSPHATES</b>		2,200 mg/kg	33, 302
		<b>POLYSORBATES</b>		5,000 mg/kg	XS89, XS98
		<b>RIBOFLAVINS</b>		1,000 mg/kg	XS96, XS97, 16
		Propyl gallate	310	200 mg/kg	XS89, XS98, 15, 130
		Propylene glycol alginate	405	3,000 mg/kg	XS89, XS98
		<b>SORBATES</b>		1,500 mg/kg	XS89, XS98, 42
		Sodium diacetate	262(ii)	1,000 mg/kg	XS89, XS98
		<b>TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	XS 89, XS 98
		Tertiary butylhydroquinone (TBHQ)	319	100 mg/kg	XS 89, XS 98, 15, 130, 162”;

(iv) under the heading food category system, in item 8.3, against sub-item 8.3.2,-

(A) in column (4), for the entry “160(ii)”, occurring against the food additive “beta Carotenes, vegetable”, the entry “160a(ii)” shall be substituted;

(B) in column (3), after the food additive “Sunset yellow FCF” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“TOCOPHEROLS</b>		500 mg/kg	XS 89 , XS 98”;

**(i) in Table 9, in column (1),-**

(i) under the heading food category system, in item 9.2, against sub-item 9.2.5, in column (5) occurring against the food additive “SORBATES”, the entry “1000 mg/Kg” shall be inserted;

(ii) under the heading food category system, in item 9.3, against sub-item 9.3.3, in column (4) occurring against the food additive “Ponceau 4R”, the entry “124” shall be inserted;

**(j) in Table 10, in column (1),-**

(i) under the heading food category system, in item 10.2, against sub-item 10.2.1, after the food additive “Tara gum” and the entries relating thereto, the following food additive and the entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Triethyl citrate	1505	2,500 mg/kg	47”;

(ii) under the heading food category system, in item 10.2, in sub-item 10.2.2, after the food additives “ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES (EDTA)” and the entries relating thereto, the following food additive and the entries shall be omitted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“SORBATES		1,000 mg/kg	42”;

(iii) in food category system 10.4, in column (4), occurring against the food additive “Caramel III-ammonia caramel”, for the entry “150d”, the entry “150c” shall be substituted;

**(k) in Table 11, in column (1),-**

(i) for the food category system 11.1.6, the following food category system and the entries relating thereto shall be substituted in column (1) to (6), namely:-

“11.1.6	Gur or Jaggery	Sulfites		50 mg/Kg	Residue not to exceed 50mg/Kg in the end product”;
---------	----------------	----------	--	----------	--

(ii) after food category system 11.1.6 and the entries relating thereto, the following food category systems shall be inserted in column (1) to (6), namely:-

Food Category System	Food Category Name	Food Additive	INS No.	Recommended Maximum level	Note
11.1.6.1	Cane Jaggery/Gur				
11.1.6.2	Palm Jaggery/Gur				
11.1.6.3	Date Jaggery/Gur				”;

**(l) in Table 12, in column (1),** (i) under the heading food category system, in item 12.1, against sub-item 12.1.1, in column (3), for the food additive “Sodium 300hydroly silicate” the food additive “Sodium aluminosilicate” shall be substituted;

(ii) under the heading food category system, in item 12.2, against sub-item 12.2.1, in column (2), for the entry “Herbs, spices including masalas”, the following entry shall be substituted, namely:-

**“Herbs, spices, masalas, spice mixtures including oleoresins or extracts/derivatives thereof”;**

(iii) under the heading food category system, in item 12.2, against sub-item 12.2.2, in column (3), after the food additive “Tartaric acid” and the entries relating thereto, the following food additive and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely :-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note

“Caramel IV – sulfite ammonia caramel	150d	10,000 mg/kg	
Paprika oleoresin	160c(i)	GMP	”;

(iv) under the heading food category system, in item 12.5, against sub-item 12.5.2, in column (3) for the entry “Sodium 303ydroly silicate”, the entry “Sodium aluminosilicate” shall be substituted;

(v) under the heading food category system, against item 12.6, in columns (3), after the food additive “Dimethyl polysiloxane” and the entries relating thereto, the following food additives and entries shall be inserted in column (3) to (6), namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Propylene glycol alginate	405	200 mg/kg	”;

**(m) in Table 14, in column (1),** (i) under the heading food category system, in item 14.1, against sub-item 14.1.2.1, in column (3), for the entry “Ester gum” the entry “Glycerol ester of wood resin” shall be substituted;

(ii) under the heading food category system, in item 14.1, against sub-item 14.1.2.3, in column (3), the food additive “Carbon dioxide” and the corresponding entries in columns (4), (5) and (6), occurring after the food additives “Nitrogen” shall be omitted;

(iii) under the heading food category system, in item 14.1, against sub-item 14.1.2.4,-

(A) in column (3), for the entry “Mono-and diglycerides of fatty acids of edible oils”, the entry “Mono-and diglycerides of fatty acids” shall be substituted;

(B) against the Food Additive “Nitrogen”, in column (4), for the entry “918” the entry “941” shall be substituted;

(iv) under the heading food category system, in item 14.1, against sub-item 14.1.3.2, in column (3), the food additive “Curcumin” and the corresponding entries in columns (4), (5) and (6), occurring after the food additive “Caramel” shall be omitted;

(iii) under the heading food category system, in item 14.1, against sub-item 14.1.4, in column (6), for the entries “293, 132, 168” occurring against the Food Additive “**QUILLAIA EXTRACTS**” the entries “293, 132” shall be substituted;

(v) under the heading food category system, in item 14.1 against sub-item 14.1.4.2,-

(A) after the Food Additive CAROTENOIDS and the entries relating thereto, the following food additives and the entries in column (3) to (6) thereof shall be omitted, namely:-

Food Additive	Ins No.	Recommended maximum level	Note
“Canthaxanthin	161g	200 mg/Kg	
<b>RIBOFLAVINS</b>		200 mg/Kg	”;

(B) in column (4), for the entry “160(b) occurring against the food additive “Annatto”, the entries “160b (i), (ii)” shall be substituted;

(C) after the food additive “Calcium alginate” and the entries relating thereto, the following food additives and the entries in column (3) to (6) thereof shall be omitted;



Food Additive	Ins No.	Recommended maximum level	Note
"L-Tartaric acid	334	GMP	”;

(vi) under the heading food category system, in item 14.2, against sub-item 14.2.3, in column (3), -

(A) for the food additive “Malic acid DL”, the food additive “Malic acid, DL-, L-“ shall be substituted;

(B) for the entries in columns (3) to (6),

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
“Potassium- L(+)- Tartrate	336	GMP	”;
Potassium D, L-Tartrate			

the following food additive and entries shall be substituted in column (3) to (6) thereof, namely:-

Food Additive	INS No.	Recommended Maximum Level	Note
<b>“Potassium-D,L-, L(+)- tartrate, Potassium bitartrate</b>	336	GMP	”;

3. In the said regulations, in ANNEXURE-1, in column (1), under the heading group name, after the group name “ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES” and the entries relating thereto, the following group name and entries shall be inserted in column (1) to (3), namely:-

Group Name	Additive Name	INS No.
<b>“SORBITAN ESTERS OF FATTY ACIDS</b>	Sorbitan monolaurate	493
	Sorbitan monooleate	494
	Sorbitan monopalmitate	495
	Sorbitan monostearate	491
	Sorbitan tristearate	492”.

4. In the said regulations, in the Notes to the Food Additives mentioned in the Table 1 to 15, after Note No. XT102 and the entries relating thereto, the following Note Numbers and entries shall be inserted at the end in column (1) to (2), namely:-

Note No.	Notes to the Food Additives mentioned in the Table 1 to 15.
323	For use as firming agent
348	Singly or in combination: Sucrose esters of fatty acids (INS 473), sucrose oligoesters, type and type II (INS 473a) and sucroglycerides (INS 474)
359	Excluding dairy fat spreads with $\geq 70\%$ milk fat content
360	In dairy fat spreads limited to products with $< 70\%$ fat content or baking purposes only.
363	For use at 50,000 mg/kg for emulsified oils used in the production of noodles or bakery products.
366	10,000 mg/kg in imitation chocolate with $>5\%$ water content.
367	For use at 10,000 mg/kg in candy containing not less than 10% oil

368	For use at 10,000 mg/kg in whipped decorations
389	Except for use at 500 mg/kg in products containing nut paste
XS 86	Excluding products conforming to the Standard for Cocoa Butter
XS 87	Excluding products conforming to the Standard for Chocolate and Chocolate Products
XS 105	Excluding products conforming to the Standard for Cocoa Powders (Cocoas) and Dry Mixtures of Cocoa and Sugars
XS141	Excluding products conforming to the Standard for Cocoa (Cacao) Mass (Cocoa/chocolate liquor) and Cocoa Cake
XS240	Excluding products conforming to the Standard for Aqueous Coconut Products
XS314R	Excluding products conforming to the Standard for Date Paste”.

5. In the said regulations, in the ANNEX TO GMP Table,-

(a) in serial number 22, against category number 4.1.1.3, in column (3), for the entry “Peeled or cut fresh fruit”, the following entry shall be substituted, namely:-

“Peeled or cut, minimally processed fruit”;

(b) in serial number. 26, against category number 4.2.1.3, in column (3), for the entry “Peeled, cut or shredded fresh vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds” the following entry shall be substituted, namely:-

“Peeled, cut or shredded minimally processed vegetables ((including mushrooms and fungi, roots and tubers, fresh pulses and legumes, and aloe vera) sea weeds, nuts and seeds)”;

(c) after serial number 60 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely:-

“60A	11.1.6	Gur or Jaggery
60B	11.1.6.1	Cane Jaggery/Gur
60C	11.1.6.2	Palm Jaggery/Gur
60D	11.1.6.3	Date Jaggery/Gur”.

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT-III/4/Exty./339/18]

**Note:-** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary Part III, Section 4 vide notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011 and subsequently amended vide notification numbers-

- i. F.No. 4/15015/30/2011, dated 7th June, 2013;
- ii. F.No. P. 15014/1/2011-PFA/FSSAI, dated 27th June, 2013;
- iii. F. No. 5/15015/30/2012, dated 12th July, 2013;
- iv. F.No. P. 15025/262/2013-PA/FSSAI, dated 5th December, 2014;
- v. F.No. 1-83F/Sci. Pan- Noti/FSSAI-2012, dated 17th February, 2015;
- vi. F.No. 4/15015/30/2011, dated 4th August, 2015;
- vii. F.No. P.15025/264/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- viii. F.No. P. 15025/263/13-PA/FSSAI, dated 4th November, 2015;
- ix. F.No. P. 15025/261-PA/FSSAI, dated 13th November, 2015;
- x. F.No. P. 15025/208/2013-PA/FSSAI, Dated 13th November, 2015;
- xi. F.No. 7/15015/30/2012, dated 13th November, 2015;

- xii. F.No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 11th January, 2016;
- xiii. No. 3-16/Specified Foods/Notification(Food Additives)/FSSAI-2014, dated 3rd May, 2016;
- xiv. F.No. 15-03/Enf/FSSAI/2014, Dated 14th June, 2016;
- xv. No. 3-14F/Notification (Nutraceuticals)/FSSAI-2013, dated 13th July, 2016;
- xvi. F.No. 1-12/Standards/SP (Sweets, Confectionery)/FSSAI-2015, dated 15th July, 2016;
- xvii. F.No. 1-120(1)/Standards/Irradiation/FSSAI-2015, dated 23rd August, 2016;
- xviii. F. No. 11/09/Reg/Harmoniztn/2014, dated 5th September, 2016;
- xix. F.No. Stds/CPLQ.CP/EM/FSSAI-2015, dated 14th September, 2016;
- xx. F.No. 11/12 Reg/Prop/FSSAI-2016, dated 10th October, 2016;
- xxi. F.No. 1-110(2)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated 10th October, 2016;
- xxii. F.No. Stds/SP (Water & Beverages)/Notif (2)/FSSAI-2016, dated 25th October, 2016;
- xxiii. F.No. 1-11(1)/Standards/SP (Water & Beverages)/FSSAI-2015, Dated 15th November, 2016;
- xxiv. F.No. P.15025/93/2011-PFA/FSSAI, Dated 2nd December, 2016;
- xxv. F.No. P. 15025/6/2004-PFS/FSSAI, dated 29th December, 2016;
- xxvi. F.No. Stds/O&F/Notification(1)/FSSAI-2016, dated 31st January, 2017;
- xxvii. F.No. 1-12/Standards/2012-FSSAI, dated 13th February, 2017;
- xxviii. F.No. 1-10(7)/Standards/SP (Fish & Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 13th February, 2017;
- xxix. F. No. Stds /SCSS&H/ Notification (02)/FSSAI-2016, dated 15th May, 2017;
- xxx. F. No. Stds/03/Notification (LS)/ FSSAI-2017, dated 19th June, 2017;
- xxxi. F.No. 1/Additives/Stds/14.2Notification/FSSAI/2016, dated 31st July, 2017;
- xxxii. F.No. Stds/F&VP/Notification(01)/FSSAI-2016, dated 2nd August, 2017;
- xxxiii. F.No. 1-94(1)/FSSAI/SP(Labelling)/2014, dated 11th September, 2017;
- xxxiv. F.No. Stds/M&MPIP(1)/SP/FSSAI-2015, dated 15th September, 2017;
- xxxv. No. Stds/SP (Water & Beverages)/Noti(1)/FSSAI-2016,dated 15th September,2017;
- xxxvi. F.No.1-10(8)/Standards/SP (Fish and Fisheries Products)/FSSAI-2013, dated 15th September,2017;
- xxxvii. File No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016, dated 18th September, 2017;
- xxxviii. F. No. A-1 (1)/Standard/MMP/2012, dated 12th October, 2017;
- xxxix. F. No. Stds/O&F/Notification (3)/FSSAI-2016, dated 12th October, 2017;
- xl. F. No. 2/Stds/CPL & CP/Notification/FSSAI-2016(part), dated the 24th October, 2017;
- xli. F. No. A-1/Standards/Agmark/2012-FSSAI(pt.I), dated 17th November, 2017;
- xlii. F.No. 1/Additives/Stds/BIS Notification/FSSAI/2016, dated 17th November, 2017;
- xliii. F. No. Stds/O&F/Notification (5)/FSSAI-2016, dated 20th February , 2018;
- xliv. F.No. Stds/01-SP(fortified & Enriched Foods)-Reg/FSSAI-2017, dated 13th March, 2018;
- xlv. F. No.1-110(3)/SP (Biological Hazards)/FSSAI/2010, dated the 21st March, 2018;
- xlvi. File No. Stds/SCSS&H/ Notification (03)/FSSAI-2016, dated the 10th April, 2018;
- xlvii. No. Stds/CPL&CP/Notification/FSSAI-2016, dated 4th May, 2018;
- xlviii. F.No. Stds/SP(SCSSH)/Ice lollies notification/FSSAI-2018, Dated 20th July,2018;
- xliv. F.No. Stds/SP(Water & Beverages)/Notif(3)/FSSAI-2016, Dated 20th July,2018; and
- l. Stds/CPL&CP/ Draft Notification/FSSAI-2017, Dated 31st July, 2018.